

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,,  
अनुसचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 8 नवम्बर 2016

विषय:- अलीगढ़-मुरादाबाद सेक्शन (एन0एच093) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में किमी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 250 वृक्षों के पातन, बुलन्दशहर में किमी0 126.000 से 133.860 तक 3.5760 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 61 वृक्षों के पातन, सम्भल में किमी0 142.220 से 205.000 तक 32.7792 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 3777 वृक्षों के पातन तथा मुरादाबाद में किमी0 205.000 से 232.000 तक 14.4852 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/06/93/2016/370, दिनांक 03-11-2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयक प्रकरण में कतिपय आपत्ति करते हुये संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतएव विषयगत प्रस्ताव दो प्रतियों में वापस करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र में इंगित कमियों का निराकरण करते हुये संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि प्रस्ताव 02प्रतियां।

भवदीय,

  
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)

अनु सचिव।